कंपनी का नियम (1773-1858)

- 1600→ ईस्ट इंडिया कंपनी (यह एक निजी कंपनी थी) की स्थापना की गई थी। महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिए गए चार्टर के तहत कंपनी को भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया गया था।
- 1765→ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई में अपनी जीत के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 'दीवानी अधिकार' प्राप्त किए।
- 'दीवानी अधिकार' राजस्व और नागरिक न्याय पर अधिकारों को संदर्भित करता है। इन अधिकारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अत्यधिक अधिकार दिए, कंपनी के सेवकों ने इन शक्तियों का उपयोग भ्रष्ट गतिविधियों के लिए किया। इस प्रकार, ब्रिटिश सरकार ने एक कानूनी ढांचा तैयार करके भारत में कंपनी के मामलों को विनियमित करने की आवश्यकता महसूस की।

अधिनियम	ई. आई. सी. का विनियमन	प्रशासनिक परिवर्तन	अन्य बदलाव	महत्व
1773 का विनियमन अधिनियम	• कंपनी के सेवकों को निजी व्यापार में संलग्न होने से प्रतिबंधित किया। • निदेशक मंडल (कंपनी का शासी निकाय) को भारतीय मामलों (राजस्व, नागरिक, सैन्य) के बारे में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करनी थी।	• बंगाल के गवर्नर-जनरल के रूप में बंगाल के नामित गवर्नर। • बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। • बॉम्बे + मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बना दिया गया था।	• सर्वोच्च न्यायालय के लिए उपबंध किया गया जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के सभी निवासियों पर था। • SC के पास प्रतिवादियों के व्यक्तिगत कानूनों को प्रशासित करने की शक्ति थी i.e. हिंदुओं और मुसलमानों का मुकदमा उनके अपने व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार किया जाता था।	• ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने + नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम। • पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। • भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी
1784 का पिट्स का भारत अधिनियम	• इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग किया। • इसने सभी सिविल + सैन्य अधिकारियों के लिए भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया।	• दोहरी सरकार → निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल की एक प्रणाली बनाई। • निदेशक मंडल-वाणिज्यिक मामले, नियंत्रण बोर्ड-राजनीतिक मामले		• पहली बार कंपनी के क्षेत्रों को 'भारत में ब्रिटिश संपत्ति' कहा गया था। • कंपनी के मामलों और प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण ब्रिटिश सरकार को दिया गया था।
1793 का चार्टर अधिनियम	• भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। • ई. आई. सी. → को भारतीय राजस्व से कर्मचारियों + नियंत्रण बोर्ड का भुगतान करना पड़ता था। • ई. आई. सी. ब्रिटिश सरकार को भुगतान करेगी हर साल 5 लाख पाउंड।	• गवर्नर जनरल को प्रेसीडेंसी के गवर्नर पर अधिकार दिया गया था।	• गवर्नर-जनरल + गवर्नर + कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था।	

1813 का चार्टर अधिनियम	• भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया (अपवाद में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार शामिल है)	• भारतीय कंपनी क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज की संप्रभुता का दावा किया गया था। • स्थानीय सरकारों को कर लगाने और उन्हें भुगतान नहीं करने वालों को दंडित करने का अधिकार दिया।	• भारत में ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। • पश्चिमी शिक्षा को भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच फैलाने की आवश्यकता थी। • 1 लाख रुपये का आवंटन उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था	• अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को शिक्षा प्रदान करने की एक नई जिम्मेदारी ली। • इस अधिनियम द्वारा मिशनरी गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण में ढील दी गई थी
1833 के चार्टर अधिनियम -(जिसे सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है)	• ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में समाप्त कर दिया, जिससे यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया।	• बंगाल के गवर्नर जनरल को 'भारत का गवर्नर जनरल' बनाया गया। • लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। • गवर्नर जनरल के पास सभी नागरिक + सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। • पूरे ब्रिटिश भारत के लिए भारत के गवर्नर जनरल को विशेष विधायी शक्ति दी गई थी। इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के राज्यपाल को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। • लॉ सदस्य लॉर्ड मैकाले को शामिल करने के साथ गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या पहले के 3 से बढ़कर 4 हो गई। • भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और समेकित किया गया था।	• गैर-भेदभाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया 1) किसी भी भारतीय को धर्म, रंग के आधार पर कंपनी के तहत रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। 2. दासता के उन्मूलन का प्रावधान (It was abolished पद 1843) • यूरोपीय लोगों के आप्रवासन और संपत्ति अधिग्रहण पर प्रतिबंध हटा दिए गए थे। • खुली प्रतिस्पर्धा के लिए प्रावधान नकार दिया गया (सिविल सेवा)	• ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम। • ई. आई. सी. ब्रिटिश प्रशासन के क्षेत्र में ताज का ट्रस्टी बन गया। • भारत के पहले विधि आयोग का गठन किया गया था जिसने 1860 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का मसौदा तैयार किया था।

1853 का चार्टर अधिनियम	• कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित अंतिम अधिनियम। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया था।	• गवर्नर जनरल काउंसिल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया। विधान को एक विशेष कार्य के रूप में माना जाता था। • भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद: एक 'लघु संसद' के रूप में कार्य करती थी। इसके लिए परिषद में 6 नए सदस्य प्रदान किए गए जिन्हें विधान पार्षद के रूप में जाना जाता था। • स्थानीय प्रतिनिधित्व पहली बार शुरू किया गया था (6 में से 4 सदस्यों को स्थानीय/प्रांतीय सरकार-मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा द्वारा नियुक्त किया गया था)	• सिविल सेवा के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता शुरू की गई-इसलिए, सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खुला कर दिया गया	• गवनर जनरल की परिषद की विधायी शाखा ने भारतीय संसदीय सरकार की नींव रखी जिससे भारतीय सिविल सेवाओं का जन्म हुआ • विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई • प्रशासनिक मामलों में भारतीयों को शामिल करने के लिए पहला कदम उठाया गया

क्रॉन नियम (1858-1947)

1857 के विद्रोह या 'सिपाही विद्रोह' के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने का फैसला किया और सरकार, क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। यह भारत सरकार अधिनियम, 1858 द्वारा किया गया था जिसे 'अच्छी सरकार के लिए अधिनियम' के रूप में भी जाना जाता है।

अधिनियम	कार्यपालक/प्रशासनिक परिवर्तन	विधायी परिवर्तन	अन्य बदलाव
भारत सरकार अधिनियम 1858 (अच्छी सरकार का अधिनियम)	• भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत के वायसराय कर दिया गया। • प्रथम वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल → लॉर्ड कैनिंग। • भारत के लिए एक नए कार्यालय 'राज्य सचिव' को भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। • 15 सदस्यीय परिषद (सलाहकार) की स्थापना की गई थी।		• दोहरी सरकार की राज्य प्रणाली को समाप्त करने में सचिव की सहायता के लिए (नियंत्रण मंडल + निदेशक मंडल ने इसे समाप्त कर दिया) विघटित पूर्व • भारतीय कंपनी प्रशासन सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। • चूक के सिद्धांत जैसी नीतियों को हटा दिया। • भारतीय राजकुमारों और प्रमुखों को स्वतंत्र दर्जा बशर्ते वे ब्रिटिश अधिराज्य को स्वीकार करें।
1861 के भारतीय परिषद अधिनियम	• पोर्टफोलियो प्रणाली (लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई) को वैधानिक मान्यता दी गई थी।	• प्रतिनिधि संस्थान-भारतीय विधान परिषद में 6 से 12 सदस्य होंगे। उनमें से आधे गैर-अधिकारी होंगे।	• बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषद की स्थापना

	• वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था।	• इन गैर-अधिकारियों में भारतीय (अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं) शामिल हो सकते हैं • वायसराय ने 3 भारतीयों-बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में गैर-अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। • विकेंद्रीकरण: बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल किया गया।	
भारतीय परिषद अधिनियम 1892		• सदस्यों की संख्या (गैर-आधिकारिक) ⟶ केंद्रीय प्रांतीय विधान सभाओं में वृद्धि। • आधिकारिक बहुमत अभी भी बना हुआ था। • अधिकार प्राप्त विधान परिषदें ⟶ बजट पर चर्चा करने की शक्ति।	• चुनावों के उपयोग के लिए सीमित + अप्रत्यक्ष प्रावधान किया गया था। चुनाव शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। • प्रक्रिया को कुछ निकायों जिला परिषद, नगर पालिका की सिफारिश के आधार पर नामांकन के रूप में वर्णित किया गया था
भारतीय परिषद अधिनियम 1909-मोर्ले-मिंटो सुधार	• पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को जोड़ने का प्रावधान किया गया था। • सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के कानून सदस्य में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। • भारतीय मामलों के राज्य सचिव की परिषद में दो भारतीयों को नामित किया गया था	• भारतीयों को पहली बार शाही विधान परिषद की सदस्यता दी गई थी। • प्रांतीय विधान सभा के पास गैर-आधिकारिक बहुमत होना चाहिए था। (ज्यादातर भारतीय) • केंद्रीय विधान सभा में विधान परिषद का आकार 16 से 60 सीटों तक बढ़ाया गया। • विधान परिषद के विस्तारित विचार-विमर्शात्मक कार्य अर्थात् बजट पर चर्चा करने, पूरक प्रश्न पूछने, प्रस्ताव पेश करने आदि की शक्ति।	• मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल दिए गए इसके तहत मुसलमान। सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था • इसने प्रेसीडेंसी कॉर्पोरेशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया।
भारत सरकार अधिनियम 1919-मोंटागु चेम्सफोर्ड सुधार	**केंद्र सरकार** • वायसराय कार्यकारी परिषद ⟶ वायसराय कार्यकारी परिषद के छह में से तीन सदस्य भारतीय होने थे **प्रांतीय सरकार (Dyarchy)** • राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। • प्रणाली के तहत प्रशासकों के दो वर्ग कार्यकारी पार्षद और मंत्री। • आरक्षित सूची का प्रशासन ⟶ राज्यपाल + कार्यकारी परिषद (विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं) • राज्य सचिव + गवर्नर जनरल आरक्षित सूची के तहत मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं।	**केंद्र सरकार** • द्विसदनीयवाद पेश किया गया था: ऊपरी सदन (राज्य की परिषद) और एक निचला सदन (विधान सभा) • प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए दोनों सदनों के सदस्यों का बहुमत **प्रांतीय सरकार** • प्रांतीय विधान सभाओं का आकार बढ़ाना। अब लगभग 70% सदस्य चुने गए थे। • प्रांतों में विषयों का विभाजन दो सूचियों की आरक्षित सूची और हस्तांतरित सूची के तहत किया गया था। • आरक्षित विषय: कानून और व्यवस्था,	• पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था। • इस प्रकार, प्रांतीय विधानसभाओं को बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया था • सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपीय लोगों और एंग्लो-इंडियंस के सांप्रदायिक निर्वाचकों के सिद्धांत का विस्तार किया। • लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया कार्यालय स्थापित किया गया। • लोक सेवा आयोग की स्थापना। (केन्द्रीय लोक सेवा आयोग-1926)

	• स्थानांतरित सूची का प्रशासन राज्यपाल + विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्री। • इन मंत्रियों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित किया गया था। • स्थानांतरित सूची के तहत मामलों में राज्य गवर्नर-जनरल के सचिव का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है।	सिंचाई, वित्त, भूमि राजस्व आदि। • हस्तांतरित विषय: शिक्षा, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य, उत्पाद शुल्क, उद्योग, लोक निर्माण, धार्मिक बंदोबस्ती आदि।	
भारत सरकार अधिनियम 1935	• एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण • संघ में ब्रिटिश भारत + रियासतें शामिल होनी थीं जो इसमें शामिल होने के इच्छुक थीं • संघ आवश्यक संख्या में रियासतों के समर्थन की कमी के कारण कभी अस्तित्व में नहीं आया। • राज्यपाल को प्रांतीय विधायिका के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना पड़ता था (द्वैतवाद समाप्त हो गया)। • केंद्र में द्वैत शासन अपनाया गया था।	केंद्र में द्वैत शासन अपनाया गया था (3 सूचियों के तहत) • संघीय सूची (केंद्र) प्रांतीय सूची प्रांत) समवर्ती सूची (दोनों) • किसी भी सूची में उल्लेख नहीं किए गए विषयों पर अवशिष्ट शक्तियां वायसराय पावर में निहित थीं। • ग्यारह मं से छह प्रांतों में द्विसदनीयतावाद की शुरूआत • 'प्रांतीय स्वायत्तता' प्रदान की गई	• महिलाओं, दलित वर्गों और श्रमिकों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार ख देश के ऋण और मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। • संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना। • 1937 में स्थापित 'संघीय अदालत' की स्थापना के लिए प्रदान किया गया
भारत सरकार अधिनियम 1947 (ब्रिटिश शासन का अंत)	• भारत का विभाजन और 2 स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान का निर्माण • राज्य सचिव के पद का उन्मूलन	• 2 डोमिनियन की संविधान सभाओं को अपने स्वयं के संविधान को अपनाने और निरस्त करने का अधिकार दिया • कोई भी ब्रिटिश शासन। • घटक और विधायी दोहरे कार्य सौंपे गए। 1946 में गठित संविधान सभा के लिए।	• इसने भारतीय रियासतों को किसी भी प्रभुत्व में शामिल होने की स्वतंत्रता प्रदान की (भारत या पाकिस्तान) स्वतंत्र रहें।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR